RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

प्रगति

प्रतिवेदन

2021—22

(दिसम्बर, 2021 तक)

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

प्रगति प्रतिवेदन

2021—22

(दिसम्बर, 2021 तक)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर — 302005

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश	i
	विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ	ii
	संगठन सरंचना	iii
1	रीको के प्रमुख उद्देश्य।	1
2	वार्षिक लेखें एवं कार्य परिणाम।	1
3	औद्योगिक क्षेत्रों का विकास ।	1
4	भू–आवंटन एवं रीको भू–निपटान नियम, 1979: नीतिगत निर्णय, रियायतें व सरलीकरण (जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक)।	1
5	सावधि ऋण।	2
6	केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं।	2
	(i) असाईड योजना।	2
	(ii) MSE-CDP योजना।	2
7	रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क/जोन।	2
	(i) स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन।	2
	(ii) पीसीपीआईआर।	2
	(iii) MEDTech मेडिकल डिवाइस पार्क।	2
	(iv) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड) का विकास।	3
8	रीको की अन्य विशेष योजनाएं।	3
	(i) अनुसूचित जाति उपयोजना।	3
	(ii) क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले) 2011–12	3
	(iii) औद्योगिक सेक्टर्स को बढ़ावा।	3
9	मानव संसाधन विकास।	3
	परिशिष्ट :	
	आधारभूत सुविधाएं (सारांश) (परिशिष्ट–1)	4
	सावधि ऋण (परिशिष्ट–2)	4

कार्यकारी सारांश

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको) वर्ष 1969 से राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील है। रीको के प्रमुख उद्देश्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना एवं सावधि ऋण प्रदान करना है। औद्योगिक व्यापार एवं विनियोजन संवर्द्धन गतिविधियों को बढ़ावा देना रीको की प्राथमिकता है।

राज्य में रीको द्वारा 370 औद्योगिक क्षेत्र संचालित किये जा रहे हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दिसम्बर, 2021 तक 88257.67 एकड़ भूमि अवाप्त एवं 50826.77 एकड़ भूमि विकसित की गई है। औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए रीको द्वारा इस आलोच्य अवधि तक 58788 भूखण्ड आवंटित किये गये हैं जिनमें 41610 इकाइयां उत्पादनरत हैं। रीको की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 2021 तक सावधि ऋण के रूप में 3760.41 करोड़ रू. स्वीकृत एवं 2763.33 करोड़ रू. वितरित किये जा चुके हैं।

राज्य में औद्योगीकरण की गति को बनाये रखने के लिये वर्ष 2020–21 में 118.82 एकड़ एवं वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 1440.16 एकड़ भूमि विकसित की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 2073 भूखण्ड आवंटित किये गये एवं 732 भूखण्डों के ऑफर पत्र जारी किये गये। इस प्रकार कुल 2805 भूखण्डों के आवंटन/ऑफर पत्र जारी किये गये। वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक 1271 भूखण्ड आवंटित एवं 253 भूखण्डों के ऑफर पत्र जारी किये गये। इस प्रकार कुल 1524 भूखण्डों के आवंटन/ऑफर पत्र जारी किये गये।

रीको द्वारा वर्ष 2020–21 में विभिन्न परियोजनाओं हेतु 24.36 करोड़ रु. के सावधि ऋण स्वीकृत किये गये तथा 95.20 करोड़ रु. की ऋण वसूली की गई। वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक 20.59 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत तथा 98.02 करोड़ रु. की ऋण वसूली की गई है।

नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के साथ–साथ वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार पर बल दिया जा रहा है। साथ ही औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु रीको भू–निपटान नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जा सके।

विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ

रीको को राष्ट्रीय पुरस्कार : रीको को सराहनीय प्रदर्शन और देश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की उन्नति की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिनांक 06 सितम्बर, 2021 को पुडुचेरी में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (COSIDICI) द्वारा भारतवर्ष का 'उत्कृष्ट' SIIDC का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के DPIIT विभाग द्वारा जारी की गई IPRS 2.0 रेटिंग में चिन्हित देश के कुल 68 उत्कृष्ट औद्योगिक पार्कों में से 25 औद्योगिक पार्क रीको द्वारा विकसित किए गए हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास : रीको द्वारा प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु वर्ष 2021–22 के दौरान माह दिसम्बर, 2021 तक 27 औद्योगिक क्षेत्रों यथा सोपडा भोपालगढ़ जिला जोधपुर, फतेहपुर समेलिया जिला भीलवाडा, जायल जिला नागौर, कोटरा जिला धौलपुर, श्रीनगर जिला टोंक, लोहावट जिला जोधपुर, रालावास जिला दौसा, रामनगर थोब जिला बाड़मेर, मेडिकल डिवाइस पार्क बोरानाडा जिला जोधपुर, चौसला जिला टोंक, मसूदा जिला अजमेर, पीपेला रोहेडा जिला सिरोही, बावलीयापाडा जिला बांसवाड़ा, बीठन जिला जालौर, हुक्कण जिला जयपुर, निमोडिया जिला जयपुर, ढोला जागीर जिला पाली, बोरखण्डी कला पीपलू जिला सवाई माधोपुर, तालाब गांव जिला बूंदी, चौहटन जिला बाड़मेर, बडली जिला अजमेर, माथासूला जिला जयपुर, अमली जिला उदयपुर, बेवंजा विस्तार जिला अजमेर, कलेसरा जिला अजमेर, कुरज जिला राजसमंद एवं तूंगा जिला जयपुर के लिये प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

पारदर्शिता के साथ भूमि आवंटन : रीको प्रदेश में उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में पारदर्शिता के साथ औद्योगिक / वाणिज्यिक / आवासीय भूखण्डों का आवंटन e-auction के द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में 2020–21 के दौरान रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 2073 भूखण्ड आवंटित किये गये एवं 732 भूखण्डों के ऑफर पत्र जारी किये गये। इस प्रकार कुल 2805 भूखण्डों के आवंटन/ऑफर पत्र जारी किये गये। वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक 1271 भूखण्ड आवंटित एवं 253 भूखण्डों के ऑफर पत्र जारी किये गये। इस प्रकार कुल 1524 भूखण्डों के आवंटन/ऑफर पत्र जारी किये गये।

नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना : औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु रीको द्वारा स्थापित किये जाने वाले नए औद्योगिक क्षेत्र जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है एवं जिनकी भूखण्ड की दर निर्धारित की जा चुकी है परन्तु आवंटन हेतु खोले नहीं गये है व भविष्य में स्थापित किये जाने वाले नये औद्योगिक क्षेत्रों की भूखण्ड आवंटन की आरक्षित दरों को तर्कसंगत बनाया जाकर आरक्षित दरें 20 से 25 प्रतिशत कम की गई हैं।

कोविड – 19 के दौरान दी गई रियायतें : कोविड–19 एवं लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों को संबल प्रदान करने हेतु रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में रीको एमनेस्टी स्कीम – 2021 लागू की गई। इसके अन्तर्गत उद्यमियों को बकाया सेवाशुल्क एवं आर्थिक किराये की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत की छूट, आवंटित भूखण्डों पर गतिविधि प्रारम्भ करने में हुई देरी पर देय धारण प्रभार में 50 प्रतिशत की छूट एवं भूखण्ड/उपविभाजित भूखण्ड के हस्तानान्तरण पर देय शुल्क में 50 प्रतिशत रियायतें सशर्त लागू की गई। साथ ही निगम के मानक खातों को राहत पैकेज प्रदान किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना : रीको द्वारा ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा के गैर–परंपरागत स्त्रोत को बढ़ावा देने का नीतिगत निर्णय लिया गया। इस क्रम में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रोड़ लाईट नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं पारम्परिक (HPSV) रोडलाईट को बदल कर ऊर्जादक्ष एलईडी लाईट के कार्य किये जा रहे हैं। इस क्रम में वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 4866 नई लाईटें लगाने का कार्य किया जा चुका है, साथ ही वर्ष 2021–22 के दौरान माह दिसम्बर, 2021 तक 3878 एलईडी लाईटें लगाने के लिये निविदा जारी कर कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। रीको के इकाई कार्यालयों पर भी कुल 309 KWp के सोलर पॉवर प्लांट स्थापित किये गये हैं।

संगठन संरचना

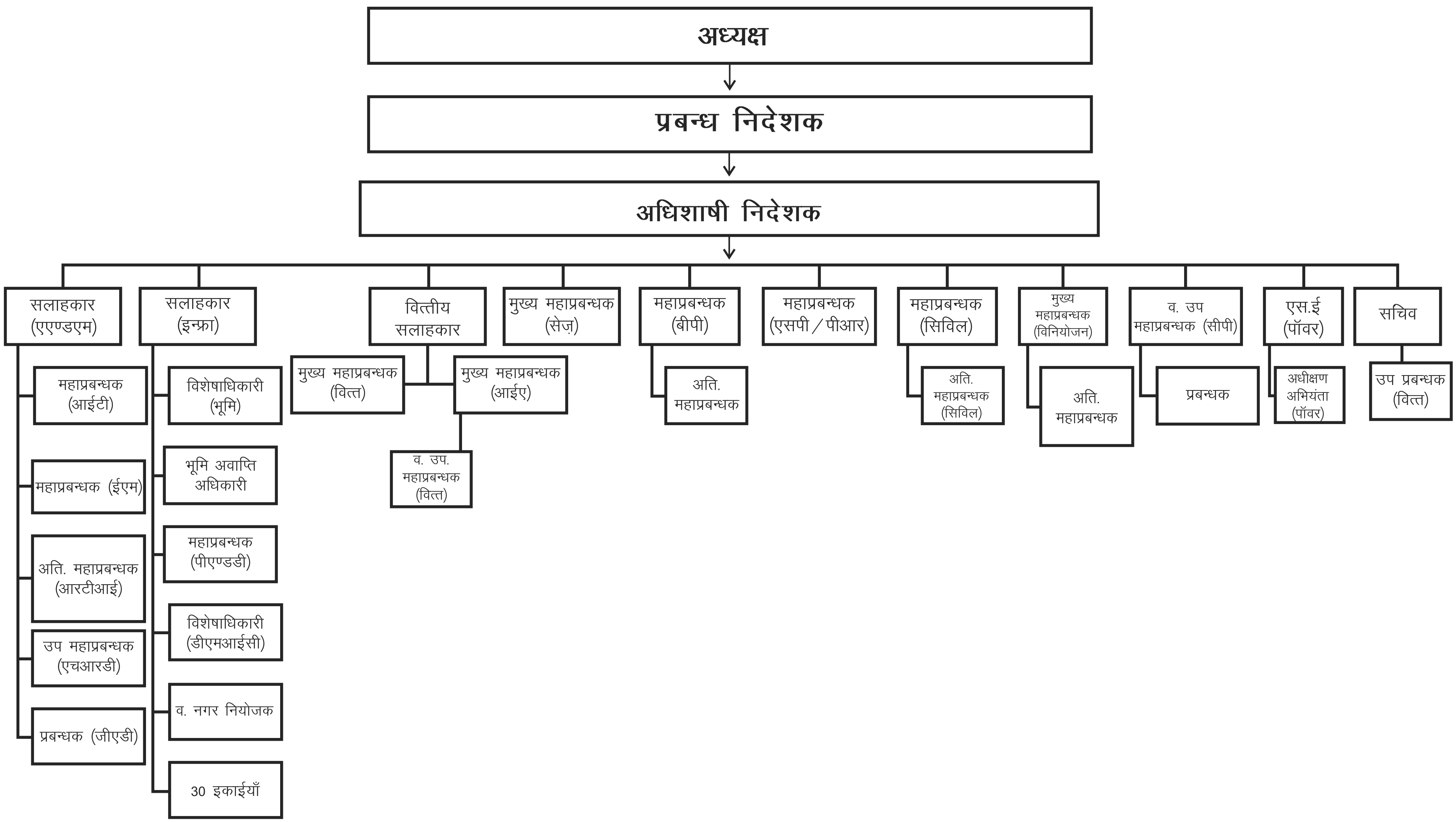
अध्यक्ष
प्रबन्ध निदेशक
अधिशाषी निदेशक
सलाहकार (एएण्डएम)
महाप्रबन्धक (आईटी)
महाप्रबन्धक (ईएम)
अति. महाप्रबन्धक (आरटीआई)
उप महाप्रबन्धक (एचआरडी)
प्रबन्धक (जीएडी)
सलाहकार (इन्फ्रा)
विशेषाधिकारी (भूमि)
भूमि अवाप्ति अधिकारी
महाप्रबन्धक (पीएण्डडी)
विशेषाधिकारी (डीएमआईसी)
व. नगर नियोजक
30 इकाईयाँ
वित्तीय सलाहकार
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
मुख्य महाप्रबन्धक (आईए)
व. उप. महाप्रबन्धक (वित्त)
मुख्य महाप्रबन्धक (सेज़)
महाप्रबन्धक (बीपी)
अति. महाप्रबन्धक
महाप्रबन्धक (एसपी / पीआर)
महाप्रबन्धक (सिविल)
अति. महाप्रबन्धक (सिविल)
मुख्य महाप्रबन्धक (विनियोजन)
अति. महाप्रबन्धक
व. उप महाप्रबन्धक (सीपी)
प्रबन्धक
एस.ई (पॉवर)
अधीक्षण अभियंता (पॉवर)
सचिव
उप प्रबन्धक (वित्त)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गतिविधियों का प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2020–21 तथा 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको) वर्ष 1969 से अपने उद्देश्यानुसार राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील है। रीको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कर उनमें आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित करता है, साथ ही उद्योगों व अन्य परियोजनाओं को सावधि ऋण प्रदान करता है। रीको उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सूचनाएं/सेवाएं भी प्रदान करता है। रीको राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य में औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी तत्पर है।

1. रीको के प्रमुख उद्देश्यः

i. आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना।

ii. सावधि ऋण प्रदान करना।

iii. औद्योगिक, व्यापार एवं विनियोजन संवर्द्धन गतिविधियां।

2. वार्षिक लेखे एवं कार्य परिणामः

वित्तीय वर्ष 2019–20 में रीको को 265.30 करोड रु. का एवं 2020–21 में 530.91 करोड रु. का लाभ हुआ। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 21.02 करोड़ रु. लाभांश के रूप में भुगतान किया एवं वर्ष 2020–21 में 21.02 करोड रु. लाभांश के रूप में राज्य सरकार को देय है।

3. औद्योगिक क्षेत्रों का विकासः

राज्य में रीको द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों की कुल संख्या दिसम्बर, 2021 तक 370 है। रीको द्वारा वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च कोटि की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने पर बल दिया जा रहा है।

राज्य में औद्योगीकरण की गति को बनाये रखने के लिये वर्ष 2020–21 में 118.82 एकड़ एवं वर्ष 2021–22 माह दिसम्बर, 2021 तक 1440.16 एकड़ भूमि विकसित की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 2073 भूखण्ड आवंटित किये गये एवं 732 भूखण्डों के ऑफर पत्र जारी किये गये। इस प्रकार कुल 2805 भूखण्डों के आवंटन/ऑफर पत्र जारी किये गये। वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक 1271 भूखण्ड आवंटित एवं 253 भूखण्डों के ऑफर पत्र जारी किये गये। इस प्रकार कुल 1524 भूखण्डों के आवंटन/ऑफर पत्र जारी किये गये। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, रख–रखाव एवं भूमि अधिग्रहण आदि कार्यों पर वर्ष 2020–21 में 406.20 करोड़ रु. एवं वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 293.24 करोड़ रु. व्यय किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में औद्योगिक क्षेत्रों से 1041.11 करोड़ रु. एवं 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 809.11 करोड़ रु. की प्राप्तियाँ रही हैं। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है।

4. भू–आवंटन एवं रीको भू–निपटान नियम, 1979: नीतिगत निर्णय, रियायतें व सरलीकरण (जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक)

- माह फरवरी, 2021 में रीको के विभिन्न् औद्योगिक क्षेत्रों में राजस्थान वित्त निगम की युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आरक्षित औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन संशोधित युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पात्र उद्यमियों के मध्य सीमित नीलामी के द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- रीको डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स, 1979 के प्रावधानों में संशोधन कर आवंटित भूखण्ड का कब्जा निर्धारित 30 दिवस की अवधि में नहीं लिये जाने पर डीम्ड कब्जा लिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- रीको डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स, 1979 के प्रावधानों में संशोधन करते हुये आवंटित भूखंड को निरस्त करने या आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड को समर्पण के प्रकरण में, आवंटी द्वारा जमा करवायी गयी भूमि की प्रीमियम/कीमत में से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित भू–आवंटन दर के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से कटौती की जावेगी । साथ ही यदि भूखण्ड आवंटन के समय कोई छूट दी गई हो, तब उस छूट राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से समर्पण/भूखण्ड के आवंटन के निरस्तीकरण की तिथि तक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।
- रीको डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स 1979 के नियम 17–सी के प्रावधानों में संशोधन कर आवंटित भूखण्डों के एकीकरण हेतु आवंटी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने पर इकाई कार्यालय स्तर पर ही स्वीकृति दी जा सकेगी। साथ ही आवंटन से पूर्व पास लगते भूखण्ड़ों को मिलाकर

आवंटित किये भूखण्ड का/आवंटित भूखण्डों का एकीकरण किये जाने के पश्चात् बने भूखण्ड का मूल योजनानुसार पृथककरण किये जाने का भी नियमों में प्रावधान किया गया है।

5. **सावधि ऋण :**

औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं को सावधि ऋण की स्वीकृति तथा वितरण रीको की महत्वपूर्ण गतिविधि है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 24.36 करोड़ रु. के सावधि ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसी अवधि में सावधि ऋण के रूप में 46.42 करोड़ रु. वितरित किये गये एवं 95.20 करोड़ रु. की वसूली रही है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 20.59 करोड़ रु. के सावधि ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसी अवधि में 25.21 करोड़ रु. के सावधि ऋण वितरित किए जाकर 98.02 करोड़ रु. की वसूली की जा चुकी है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2** पर उपलब्ध है।

रीको राज्य में औद्योगिक विकास हेतु लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की इकाइयों की स्थापना हेतु सावधि ऋण प्रदान करता है, साथ ही उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सूचनाएं/सेवाएं भी प्रदान करता हैं।

6. **केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं:**

i. **असाईड योजना** : इस योजना के अन्तर्गत निर्यात संवर्द्धन आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता से 30 परियोजनाओं पर 377.97 करोड़ रुपये का व्यय कर क्रियान्वयन किया जा चुका है। इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से 231.94 करोड़ रु. एवं राज्य सरकार से 6.94 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त हुआ है।

ii. **MSE-CDP योजना** : भारत सरकार की लघु विकास केन्द्र तथा माइक्रो स्मॉल एन्टरप्राईजेज–क्लस्टर डवलपमेंट प्रोग्राम योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास के लिये ग्रामीण तथा अविकसित क्षेत्रों मे एकीकृत संचार प्रदान करने हेतु लघु विकास केन्द्र तथा माइक्रो स्मॉल एन्टरप्राईजेज – क्लस्टर डवलपमेंट प्रोग्राम (MSE-CDP) की स्थापना की गई है।

वर्तमान में रू. 96.16 करोड़ के अनुदान के साथ रु. 206. 85 करोड़ लागत की 35 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा रु. 64.06 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। अब तक 35 परियोजनाओं में से 27 परियोजनायें पूर्ण की जा कर 8 परियोजनायें प्रगतिरत हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक कुल 35 परियोजनाओं पर रु. 150.21 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

7. **रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क/जोनः**

i. **स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन** : राजस्थान में स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज सेक्टर में निवेश आकर्षित करने हेतु रीको द्वारा खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जिला अलवर में वर्ष 2020 में ''स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन'' की स्थापना की गई। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में खेल के सामान और खिलौना उद्योगों के लिए एक क्लस्टर बनाया गया है।

विदेश से आयातित टॉयज के प्रतिस्थापन (सब्स्टीट्यूशन) एवं देश के स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज सेक्टर को प्रोत्साहित करने हेतु रीको द्वारा खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन की स्थापना कर 25 भूखण्ड आवंटित कर दिये गये है तथा शेष भूखण्डों की आवंटन प्रक्रिया जारी है।

ii. **पीसीपीआईआर** : पचपदरा बाड़मेर में स्थापित हो रही रिफाईनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स परियोजना पर आधारित उद्योगों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए रीको निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 27.06.2019 में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप यानि एकीकृत औद्योगिक जोन स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

पीसीपीआईआर के लिए एप्लीकेशन भारत सरकार को 24 जून, 2021 को भिजवा दी गई है एवं भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

रिफाईनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स, पचपदरा के समीप रीको के पास उपलब्ध भूमि का विवरण इस प्रकार है:–

रिफाईनरी स्थल से करीब 16–17 किमी की दूरी पर करीब 243.46 हैक्टेयर भूमि ग्राम बोरावास, कलावा, तहसील पचपदरा में रीको के पास उपलब्ध है, जिसमें से 32.489 हैक्टेयर पार्ट भूमि पर प्लानिंग कर दी गई है। इसमें 93 भूखण्ड हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में ई–नीलामी के माध्यम से दिनांक 27.12.2021 को आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

बाड़मेर जिले के ग्राम रामनगर (थोब) में 446 हैक्टेयर भूमि आवंटित हो गई है, जो कि रिफाईनरी सह–पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स से लगभग 35 किमी की दूरी पर है। इस क्षेत्र में 500 व.मी. से 11000 व.मी. आकार के 89 भूखण्डों का नियोजन किया गया है।

केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल विभाग, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की हाई–पॉवर्ड कमेटी की आगामी बैठक में राजस्थान पीसीपीआईआर का एजेण्डा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

iii. **MEDTech मेडिकल डिवाइस पार्क** : जोधपुर के बोरानाडा विस्तार औद्योगिक क्षेत्र में 223 एकड़ भूमि पर

MEDTech Medical Devices Park विकसित किया जा रहा है। इस पार्क में 6 हैक्टेयर भूमि पर कॉमन फेसेलिटी सेंटर (सीएफसी) नियोजित किया गया है। इस सीएफसी की स्थापना के संबंध में आईआईटी जोधपुर के साथ दिनांक 5 अक्टुबर 2021 को एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।

iv. **विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड) का विकास :**

(अ) वर्तमान में राज्य में जैम्स ज्वैलरी उत्पाद आधारित दो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) सरकारी क्षेत्र में हैं, जो कि सीतापुरा, जयपुर में स्थापित हैं। इन क्षेत्रों से वित्तीय वर्ष 2020–21 में 959.66 करोड़ रु. का एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 1375.81 करोड़ रु. का निर्यात हुआ है। जैम्स एण्ड ज्वैलरी सेज स्थापित होने से अब तक 11131 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

(ब) महेन्द्रा ग्रुप ने रीको के साथ मिलकर महेन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. (संयुक्त उपक्रम) में बहुउत्पाद विशेष आर्थिक जोन (सेज़) की स्थापना की है, जिसमें करीब 5538.12 करोड़ रु. का निवेश हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1372.16 करोड़ रु. का एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 1502.50 करोड़ रु. का निर्यात हुआ है। महेन्द्रा सेज़ के स्थापित होने से अब तक लगभग 52000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

8. **रीको की अन्य विशेष योजनाएं:**

i. **अनुसूचित जाति उपयोजना :**

रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 50 प्रतिशत रियायती दर पर भूखण्ड (अधिकतम 2000 व.मी. तक) आवंटित किए जाते हैं। वर्ष 2020–21 में 398.74 लाख रु. की एवं वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 325.62 लाख रु. की छूट प्रदान की है।

ii. **क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले) 2011–12 :**

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों यथा करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बारां तथा प्रतापगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रीको द्वारा आवंटित भूखण्डों पर उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ करने को प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना "क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले)" लागू है। इस योजनान्तर्गत उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2021 तक 130 उद्यमियों को 902.00 लाख रु. की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है।

iii. **औद्योगिक सेक्टर्स को बढ़ावा :**

स्टोनमार्टः अन्तर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी, राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस 4 दिवसीय पत्थर उद्योग आधारित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में देश–विदेश के स्टोन माईनिंग, प्रोसेसिंग, मशीनरी, टूल्स एवं स्टोन क्राफ्ट के उद्यमियों द्वारा स्टॉल लगाई जाती है जिसमें बड़ी संख्या में देश–विदेश से ट्रेड विजिटर्स, वास्तुकारों द्वारा भाग लिया जाता है। स्टोनमार्ट के दौरान ही जयपुर आर्किटेक्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें भी बड़ी संख्या में आर्किटेक्ट्स द्वारा भाग लिया जाता है। इस कार्यक्रम के आयोजन से स्टोन ट्रेड के उद्यमियों को आर्किटेक्ट्स से सीधे सम्पर्क का अवसर प्राप्त होता है जिससे उन्हें अपने उत्पादों को विपणन करने का अवसर मिलता है।

इण्डिया स्टोनमार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन दिनांक 10–13 नवम्बर, 2022 में किया जाना प्रस्तावित है।

वस्त्र–2020 : रीको द्वारा टैक्सटाईल एवं अपैरल उद्योग से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के 7वें संस्करण "वस्त्र एन इंटरनेशनल टैक्सटाईल एण्ड अपैरल फेयर –2020" (वस्त्र – 2020) का आयोजन कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण "वस्त्रा–2020" प्रदर्शनी को VIRTUAL FAIR के रुप में 23 से 27 सितम्बर, 2020 तक ऑनलाईन आयोजित किया गया। इस वर्चुअल वस्त्र की वेबसाइट 7 अक्टूबर, 2020 तक लाईव रखी गई। इसके आयोजन में भाग लेने वाले एक्जीबीटर्स को विशेषकर निर्यात के अवसरों को तलाशने का अवसर मिला।

9. **मानव संसाधन विकासः**

i. निगम में वर्ष 2021 के दौरान 10 संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती का आयोजन कर 213 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। इसके अतिरिक्त 5 कार्मिकों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई।

ii. निगम में माह दिसम्बर, 2021 तक कुल 1161 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 674 कार्मिक कार्यरत हैं एवं 487 पद रिक्त हैं।

iii. निगम में वर्ष 2021–22 के दौरान माह दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर 147 अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गयी।

आधारभूत सुविधाएं (सारांश)

क.सं.	विवरण	प्रगति 2019–20	प्रगति 2020–21	प्रगति 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक)
	1	2	3	4
1.	विकसित भूमि (एकड़)	868.51	118.82	1440.16
2.	आवंटित भूखण्ड (संख्या)	1212 (906 भूखण्ड आवंटित एवं 306 भूखण्डों के ऑफर पत्र जारी)	2805 (2073 भूखण्ड आवंटित एवं 732 भूखण्डों के ऑफर पत्र जारी)	1524 (1271 भूखण्ड आवंटित एवं 253 भूखण्डों के ऑफर पत्र जारी)
3.	औद्योगिक क्षेत्रों पर खर्चा (राशि करोड़ रुपयों में)	295.61	406.20	293.24
4.	औद्योगिक क्षेत्रों से वसूली (राशि करोड़ रुपयों में)	730.02	1041.11	809.11

परिशिष्ट–2

सावधि ऋण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क.सं.	विवरण	प्रगति 2019–20	प्रगति 2020–21	प्रगति 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक)
	1	2	3	4
1.	स्वीकृत	47.54	24.36	20.59
2.	वितरित	85.87	46.42	25.21
3.	वसूली	139.81	95.20	98.02

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005
फोनः 0141-4593201, 2227751 | फैक्सः 0141-4593210
ई-मेलः riico@riico.co.in | वेबसाइटः riico.co.in
फॉलो करें: